

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 21-11-2024

विषय सूची

द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2024 (SOWC-2024) रिपोर्ट

भारत-कैरीकॉम शिखर सम्मेलन (India - CARICOM Summit)

प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना यात्रा

कौशल और रोजगार को बढ़ावा देने में शहरीकरण की भूमिका

भारत के विचाराधीन कैदी (India's Undertrial Prisoners)

पैकेज्ड फूड की गुणवत्ता में असमानताएं

संक्षिप्त समाचार

क्लाउड सीडिंग

भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक, नैफिथ्रोमाइसिन (Nafithromycin)

खसरा (Measles)

तिल (sesame) में रोग उत्पन्न करने वाले नये सूक्ष्म जीव

डी'कुन्हा समिति (D'Cunha Committee)

डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती

अंतरिक्ष क्षेत्र के ग्राउंड सेगमेंट में निजी खिलाड़ी

सेंट फ्रांसिस जेवियर (Saint Francis Xavier)

अनुकूलित फ्लोरोजेनिक परीक्षणों (Tailored Fluorogenic Tests) द्वारा भट्ट जीनोम का पता लगाना

द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2024 (SOWC-2024) रिपोर्ट

समाचार में


यूनिसेफ ने हाल ही में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन (SOWC) रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के बारे में

- यह पहली बार 1980 में प्रकाशित हुआ था, इसने वैश्विक बाल कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
 - प्रत्येक SOWC रिपोर्ट बच्चों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करती है, जैसे विकलांगता, संघर्ष, बाल श्रम, शहरीकरण और बचपन का प्रारंभिक विकास।
- यह बच्चों को प्रभावित करने वाले वैश्विक रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
- नवीनतम प्रमुख रिपोर्ट बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाली तीन प्रमुख वैश्विक शक्तियों की जांच करती है - जनसंख्या परिवर्तन, जलवायु संकट और विघटनकारी प्रौद्योगिकियां।

मुख्य निष्कर्ष

- जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरे:** लगभग 1 बिलियन बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं, जहाँ जलवायु और पर्यावरण संबंधी जोखिम बहुत अधिक हैं। बच्चे प्रदूषण, चरम मौसम, बढ़ते तापमान और बीमारियों (जैसे मलेरिया, डेंगू और जीका) के प्रति विशेष रूप से कमज़ोर हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में दूषित जल आपूर्ति, खाद्य असुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे आघात एवं चिंता शामिल हैं।
- 2050 के दशक के लिए अनुमान:** वैश्विक नवजात शिशुओं के जीवित रहने की दर 98% से अधिक होने की उम्मीद है। 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना 99.5% तक बढ़ जाती है। जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, लड़कियों के 81 वर्ष और लड़कों के 76 वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद है।
- चरम मौसम का प्रभाव:** 2022 से चरम मौसम के कारण 400 मिलियन छात्रों को स्कूल बंद होने का सामना करना पड़ा है, जिससे शिक्षा और आर्थिक विकास बाधित हुआ है।
 - जलवायु और पर्यावरणीय खतरे भी बच्चों को उनके घरों से विस्थापित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
- वैश्विक बाल जनसंख्या रुझान:** 2050 के दशक तक, वैश्विक बाल जनसंख्या लगभग 2.3 बिलियन पर स्थिर होने का अनुमान है।
 - दक्षिण एशिया, पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका, और पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका में बाल जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, जो जलवायु जोखिमों तथा सीमित डिजिटल बुनियादी ढांचे का सामना कर रहे क्षेत्र हैं।
- तकनीकी उन्नति:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्यूरोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा और वैक्सीन की सफलताएँ बचपन को बेहतर बना सकती हैं।



Source: The State of the World's Children 2024

THE HINDU

- डिजिटलीकरण बच्चों को सशक्त बना सकता है, लेकिन उन्हें यौन शोषण सहित ऑनलाइन जोखिमों के प्रति भी उजागर करता है।
- **सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ:** 2050 के दशक तक विश्व के 23% बच्चे कम आय वाले देशों में रहेंगे, जो 2000 के दशक के अनुपात से दोगुने से भी अधिक है।
 - अनुमान है कि 2050 के दशक तक पूर्वी एशिया, प्रशांत और दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दोगुना से भी अधिक हो जाएगा।
- **शहरीकरण:** 2050 के दशक तक, लगभग 60% बच्चे शहरी परिवेश में रहेंगे, जबकि 2000 के दशक में यह 44% था।
 - भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित शहरी क्षेत्रों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- **डिजिटल विभाजन:** उच्च आय वाले देशों में 95% से अधिक लोगों के पास इंटरनेट का उपयोग है, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह केवल 26% है।
 - यह डिजिटल बहिष्कार मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बच्चों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

अनुशंसाएँ

- यूनिसेफ इस बात पर बल देता है कि आज विश्व नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय बच्चों के भविष्य को आकार देंगे।
- रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकारों को सभी रणनीतियों, नीतियों एवं कार्यों के केंद्र में रहना चाहिए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत शहरी विकास में निवेश बढ़ाएँ।
- बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं में जलवायु लचीलापन मजबूत करें।
- सभी बच्चों के लिए कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करें।

Source:TH

भारत - कैरीकॉम शिखर सम्मेलन (India - CARICOM Summit)

Context

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और 'कैरीकॉम(CARICOM)' (कैरेबियन समुदाय) के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा।

परिचय

- प्रधानमंत्री गुयाना में दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के लिए कैरेबियाई साझेदार देशों के साथ शामिल हुए।
- प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा 50 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली गुयाना यात्रा है।
- उन्होंने कैरेबियाई साझेदार देशों के साथ बातचीत की, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

7 प्रमुख स्तंभ

- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूचीबद्ध सात स्तंभों का संक्षिप्त नाम C-A-R-I-C-O-M भी है।
- **क्षमता निर्माण(Capacity Building):** 1,000 सूचना प्रौद्योगिकी छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई तथा बेलीज में भारत द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र का विस्तार कैरिकॉम सदस्यों तक करने का प्रस्ताव रखा गया।

- कृषि और खाद्य सुरक्षा(Agriculture and Food Security):** भारत कृषि प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति को साझा कर सकता है, जैसे कि ड्रोन की तैनाती, तथा पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खेती को बढ़ावा देना।
- अक्षय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन(Renewable Energy and Climate Change):** कैरिकॉम देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, संधारणीय जीवन शैली के लिए मिशन लाइफ, तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी(Innovation and Technology):** भारत की तकनीकी प्रगति, जैसे कि "स्टैक" अवसंरचना तथा डिजिटल भुगतान के लिए यूनिवर्सल पैमेंट इंटरफेस (UPI), को कैरिकॉम देशों तक बढ़ाया जा सकता है।
- क्रिकेट और संस्कृति(Cricket and Culture):** महिला क्रिकेट कोचिंग के लिए प्रत्येक कैरिकॉम राष्ट्र को 11 छात्रवृत्तियां प्रदान करके क्रिकेट को महिला सशक्तिकरण के साधन के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया।
- महासागर अर्थव्यवस्था(Ocean Economy):** भारत अप्रयुक्त समुद्री संसाधनों को विकसित करने, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने तथा सुरक्षा पहलों का समर्थन करने में सहायता कर सकता है।
- चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा Medicine and Healthcare:** अपनी जन औषधि योजना के माध्यम से किफायती समाधान प्रदान करता है।

कैरीकॉम(CARICOM)

- स्थापना:** इसका गठन 1973 में चगुआरामस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। यह विकासशील देशों में सबसे पुराना जीवित एकीकरण आंदोलन है।
 - संधि को बाद में 2002 में संशोधित किया गया ताकि अंततः एकल बाजार और एकल अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा सके।
- सदस्य:** कैरीकॉम 21 देशों का समूह है जिसमें 15 सदस्य देश और छह सहयोगी सदस्य शामिल हैं।
 - उत्तर में बहामास से लेकर दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम और गुयाना तक, कैरीकॉम में वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देश माना जाता है।



- **जनसांख्यिकी:** यहाँ लगभग सोलह मिलियन नागरिक निवास करते हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत 30 वर्ष से कम आयु के हैं।
 - वे स्वदेशी लोगों, अफ्रीकियों, भारतीयों, यूरोपीय, चीनी, पुर्तगाली और जावानीस के मुख्य जातीय समूहों से संबंधित हैं।
- **कैरीकॉम के उद्देश्य:** कैरीकॉम के चार स्तंभ आर्थिक एकीकरण, विदेश नीति समन्वय, मानव और सामाजिक विकास एवं सुरक्षा हैं।
- **कैरीबियाई समुदाय:** कैरीबियाई आर्थिक विकास एक राजनीतिक संघ से फैला हुआ है, जिसके कारण वेस्ट इंडीज फेडरेशन (1958) की स्थापना हुई, कैरेबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (CARIFTA) (1965) के अधिक संरचित जुड़ाव और कैरीबियाई समुदाय (1973) के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण का एक अधिक निरंतर उपाय हुआ।
- **शिखर सम्मेलन:** कैरीकॉम और प्रधान मंत्री की आखिरी मुलाकात 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 74वें सत्र के दौरान हुई थी।
 - भारत ने भारत में तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।

भारत के वैश्विक दक्षिण उद्देश्य के लिए कैरिकॉम क्यों महत्वपूर्ण है?

- **विकासशील देशों के साथ संबंध बढ़ाना:** भारत के लिए, कैरिकॉम के साथ मजबूत संबंध बनाना विकासशील देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने के अपने व्यापक राजनीतिक उद्देश्य के साथ सरेखित है।
- **भारत के लिए अतिरिक्त वैश्विक मंच:** कैरेबियाई राष्ट्र, जिनमें से कई राष्ट्रमंडल के सदस्य भी हैं, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के लिए अतिरिक्त मंच प्रदान करते हैं, विशेष रूप से व्यापार, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे पारस्परिक हित के मुद्दों पर।
- **साझा चिंताएँ:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में भारत और कैरिकॉम की चिंताएँ समान हैं।
 - बढ़ते समुद्र के स्तर, चरम मौसम की घटनाएँ और पर्यावरण क्षरण कई कैरेबियाई देशों के लिए अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जिससे जलवायु कार्रवाई उनकी विदेश नीति के एजेंडे में प्राथमिकता बन जाती है।
- **भारतीय प्रवासी:** कैरिकॉम देशों में भारतीय प्रवासी दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों के बीच संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्लोबल साउथ

- ग्लोबल साउथ का तात्पर्य विश्व भर के विभिन्न देशों से है जिन्हें कभी-कभी 'विकासशील', 'कम विकसित' या 'अविकसित' के रूप में वर्णित किया जाता है।
- इसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं।
- इनमें से कई देश दक्षिणी गोलार्ध में हैं, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में हैं।
- वे गरीब हैं, उनकी आय असमानता का स्तर अधिक है और वे कम जीवन प्रत्याशा एवं कठोर जीवन स्थितियों से पीड़ित हैं।
- ग्लोबल नॉर्थ का तात्पर्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से है।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे कैरीकॉम(CARICOM) देश उत्तरी अमेरिका और यूरोप के साथ अपने पारस्परिक गठबंधनों से आगे की ओर देख रहे हैं, भारत आर्थिक विविधता एवं सतत विकास की उनकी खोज के लिए एक मूल्यवान भागीदार के रूप में उभर रहा है।

- भारत विकासशील देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने के लिए कैरीकॉम के साथ जुड़ रहा है।
- अपने G20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने समुद्री क्षेत्र में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों के समाधान खोजने के लिए चर्चाओं में ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर बल दिया।
- भारत स्वीकार करता है कि देशों को अपनी सामान्य समस्याओं के लिए सामूहिक समाधान की आवश्यकता है, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

Source: TH

प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना यात्रा

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बने, जो भारत-गुयाना संबंधों में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन सिद्ध हुआ।

मुख्य विशेषताएं

- को-ऑपरेटिव गणराज्य गुयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार "द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस" से सम्मानित किया।
- भारत और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन, डिजिटल भुगतान प्रणाली, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

भारत और गुयाना के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन,
- भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता के लिए समझौता ज्ञापन,
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत कैरीकॉम(CARICOM) देशों की सार्वजनिक खरीद एजेंसियों को सस्ती कीमतों पर दवाओं की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन,
- डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर इंडिया स्टैक समझौता ज्ञापन,
- गुयाना में UPI जैसी प्रणाली की तैनाती को सक्षम करने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और विदेश मंत्रालय, गुयाना के बीच समझौता ज्ञापन,
- प्रसार भारती और राष्ट्रीय संचार नेटवर्क, गुयाना के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और सहभागिता पर समझौता ज्ञापन,
- NDI (राष्ट्रीय रक्षा संस्थान, गुयाना) और RRU(राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात) के बीच समझौता ज्ञापन।

गुयाना-भारत द्विपक्षीय संबंध

- राजनयिक मिशनों की स्थापना:** मई 1965 में जॉर्जटाउन, गुयाना में भारतीय आयोग की स्थापना की गई, जिसने औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत की।
 - मिशन को 1968 में उच्चायोग में अपग्रेड किया गया।
- सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत और गुयाना के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए 1972 में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई।

- विकास सहयोग:** गुयाना को विकास सहायता में भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है, विशेष रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत।
- बुनियादी ढांचे का समर्थन:** भारत ने गुयाना में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का समर्थन किया है, जैसे; राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सौर ट्रैफिक लाइट, सूचना प्रौद्योगिकी में उल्कृष्टता केंद्र (CEIT) आदि।

चुनौतियां

- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** तेल और गैस क्षेत्र में गुयाना के रणनीतिक महत्व ने वैश्विक शक्तियों को आकर्षित किया है, विशेषकर चीन और अमेरिका जैसे देशों के प्रभाव को देखते हुए।
- बुनियादी ढांचे की कमी:** गुयाना में सीमित बुनियादी ढांचे के कारण व्यापार और निवेश के तेजी से विस्तार के लिए रसद और परिचालन संबंधी चुनौतियां हैं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:** गुयाना, एक निचले तटीय राज्य के रूप में, बढ़ते समुद्र के स्तर और चरम मौसम के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, जो संभावित रूप से विकासात्मक सहयोग परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

- ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना:** भारत को तेल आयात के लिए दीर्घकालिक समझौते करने चाहिए और गुयाना के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की संभावना खोजनी चाहिए।
- क्षेत्रीय पहुंच को बढ़ाना:** कैरीकॉम देशों के साथ भारत के जुड़ाव के लिए प्रवेश द्वार के रूप में गुयाना की भूमिका को मजबूत करने से भारत को लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में अपना प्रभाव बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
- संस्थागत भागीदारी:** शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल शासन में सहयोग बढ़ाने से गुयाना में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

गुयाना

- अवस्थिति:** गुयाना, दक्षिण अमेरिका के उत्तरपूर्वी कोने में स्थित है।
- सीमावर्ती राष्ट्र:** गुयाना की सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सूरीनाम (कोरेंटाइन नदी के किनारे), दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में ब्राजील एवं पश्चिम में वेनेजुएला से लगती है।
- प्रमुख नदियाँ:** कोरेंटाइन, बर्बिस, डेमेरारा और एस्सेकिबो।
- तेल भंडार:** गुयाना ने 11.2 बिलियन बैरल तेल के बराबर की नई खोजों के साथ तेल और गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त किया है, जो कुल वैश्विक तेल एवं गैस खोजों का 18% है।



Source: PIB

कौशल और रोजगार को बढ़ावा देने में शहरीकरण की भूमिका

सन्दर्भ

- शहरीकरण कौशल विकास और रोजगार सृजन के अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से भारत जैसे तेजी से शहरीकृत होते देश में।

भारत में शहरीकरण की स्थिति

- भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। प्रत्येक मिनट, 30 लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या 2001 में 27.7% से बढ़कर 2011 में 31.1% हो गई, जो कि प्रति वर्ष 2.76% की दर से है।
- भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और अनुमान है कि 2050 तक इसकी 50 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में होगी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 बड़े शहर (10 मिलियन से अधिक जनसंख्या) हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद।

शहरीकरण के अवसर

- विविध रोजगार विकल्प:** शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण, आईटी, खुदरा और सेवाओं सहित विभिन्न उद्योग हैं, जो कौशल स्तरों में रोजगार का सृजन करते हैं।
- कौशल संवर्धन पारिस्थितिकी तंत्र:** शहरी केंद्र शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच को बढ़ावा देते हैं।
- उद्यमिता के लिए समर्थन:** शहर बुनियादी ढाँचा, वित्तीय सेवाएँ और बाजार पहुँच प्रदान करते हैं जो उद्यमशीलता के उपक्रमों को बढ़ावा देते हैं।
- प्रौद्योगिकी-संचालित विकास:** तेजी से तकनीकी प्रगति के साथ, शहरी केंद्र डिजिटल कौशल के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो IT, AI, और ई-कॉर्मस क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- अनियोजित शहरीकरण:** पर्याप्त नियोजन की कमी के कारण अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ती हैं।
 - 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 24% शहरी परिवार झुग्गियों में रहते हैं, जो आवास और शहरी बुनियादी ढाँचे में चुनौतियों को दर्शाता है।
- कौशलों का बेमेल होना:** शहरों की ओर पलायन करने वाले कई श्रमिकों में शहरी रोजगारों के लिए आवश्यक तकनीकी या सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप कम रोजगार होता है।
- संसाधनों पर दबाव:** शहरों में भीड़भाड़ के कारण आवास, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक उपयोगिताओं पर दबाव पड़ता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता एवं श्रमिक उत्पादकता प्रभावित होती है।
- NFHS-5, 2019-21 के अनुसार, शहरी जनसंख्या के 40% से अधिक लोगों के पास पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ नहीं हैं।
- अनौपचारिक नौकरियों में भेद्यता:** अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करने वालों को कम वेतन, रोजगार की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी का सामना करना पड़ता है।
- लैंगिक असमानताएँ:** सुरक्षा चिंताओं, सीमित गतिशीलता और सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- पर्यावरणीय तनाव:** TERI की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी केंद्र भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 75% का योगदान करते हैं।

सरकारी पहल

- कौशल भारत मिशन:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- स्मार्ट सिटीज मिशन:** कुशल बुनियादी ढांचे और शासन के साथ 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने का लक्ष्य।
- AMRUT(अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन):** आर्थिक गतिविधियों और बेहतर जीवन स्तर का समर्थन करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार।
- स्टार्टअप इंडिया पहल:** वित्तीय और विनियामक सहायता प्रदान करके नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- DAY-NULM(दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन):** शहरी गरीबों के रोजगार और कौशल स्तर को बढ़ाना।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** प्रौद्योगिकी-संचालित रोजगार का समर्थन करने के लिए डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।

सुझाव

- एकीकृत शहरी नियोजन:** किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन और प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनियोजित शहरी केंद्र विकसित करें।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** कौशल विकास और रोजगार सृजन पहलों में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाएँ।
- भविष्य के लिए तैयार कौशल:** उभरते उद्योगों और प्रौद्योगिकियों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए डिजिटल, हरित और सॉफ्ट कौशल पर बल दें।
- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए समर्थन:** अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य स्थितियों को औपचारिक बनाने और बेहतर बनाने के लिए नीतियाँ प्रस्तुत करें।
- महिलाओं को सशक्त बनाना:** सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थलों और केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी रोजगार बाजारों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

- यदि शहरीकरण को रणनीतिक ढंग से प्रबंधित किया जाए तो यह कौशल और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है, जिससे भारत में सतत आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

Source: IE

भारत के विचाराधीन कैदी (India's Undertrial Prisoners)

सन्दर्भ

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अपने विरुद्ध किए गए अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई से अधिक सजा काट ली है, उन्हें संविधान दिवस (26 नवंबर) से पहले रिहा किया जाना चाहिए।


भारत में विचाराधीन कैदी

- विचाराधीन कैदी वे होते हैं जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए न्यायिक हिरासत में होते हैं। दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने के बावजूद, इनमें से कई व्यक्ति लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और जमानत का व्यय वहन करने में असमर्थता के कारण वर्षों जेल में बिताते हैं।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479:** यह पहली बार अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों को रिहा करने की अनुमति देती है जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा काट लिया है और अन्य विचाराधीन कैदी जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है।
 - यही मानक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की पहले से लागू धारा 436A के तहत प्रदान किया गया था।

विचाराधीन कैदियों की वर्तमान स्थिति

अत्यधिक भीड़भाड़:

- NCRB की रिपोर्ट प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 के अनुसार, भारतीय जेलों में कैदियों की अधिभोग दर 131% है, जिसमें 4,36,266 की क्षमता के मुकाबले 5,73,220 कैदी हैं।
- 4,34,302 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जिनके विरुद्ध मामले अभी भी लंबित हैं, जो भारत के सभी कैदियों का लगभग 75.8% है।
- 31 दिसंबर, 2022 तक, सभी विचाराधीन कैदियों में से लगभग 8.6% तीन वर्ष से अधिक समय से जेल में थे।
- इससे अमानवीय जीवन स्थितियां सृजित होती हैं, चिकित्सा देखभाल अपर्याप्त होती है, हिंसा और बीमारी का खतरा बढ़ता है तथा पुनर्वास और सुधार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।



लंबे समय तक नजरबंदी:

- कई विचाराधीन कैदी अपने कथित अपराधों के लिए अधिकतम सजा से ज्यादा अवधि तक जेल में रहते हैं।
- ऐसा प्रायः न्यायिक प्रक्रिया में देरी, कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी और प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण होता है।

कमज़ोर समूहों पर प्रभाव:

- महिलाएं, किशोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लोग असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
- महिला विचाराधीन कैदियों, विशेषकर जिनके छोटे बच्चे हैं, को अपर्याप्त सुविधाओं और सहायता प्रणालियों के कारण अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारत की विचाराधीन कैदी प्रणाली से संबंधित सुधार

- **उच्चतम न्यायालय के निर्देश:** हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने जेल अधिकारियों को BNSS की धारा 479 के तहत अपनी अधिकतम सजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर चुके पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान करने और उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया।
- **विशेष अभियान:** न्यायालय ने महिलाओं और छोटे बच्चों वाले विचाराधीन कैदियों सहित पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है, ताकि उनकी रिहाई में तेजी लाई जा सके।
 - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक देरी के कारण कोई भी पात्र कैदी जेल में न रहे।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट:** लंबित मामलों को संबोधित करने के लिए, सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। ये न्यायालय छोटे अपराधों और लंबी अवधि से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
 - इससे विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी आने और जेल में भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।
- **कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व:** कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व तक पहुँच बढ़ाना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और अन्य संगठन विचाराधीन कैदियों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें समय पर और निष्पक्ष सुनवाई मिले।
- **नीतिगत सुधार:** सरकार लंबे समय तक हिरासत में रहने के मूल कारणों को दूर करने के लिए व्यापक नीतिगत सुधारों पर विचार कर रही है, जिसमें जमानत कानूनों में संशोधन, जेल प्रबंधन में सुधार और न्यायपालिका एवं जेल अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।
- **जमानत कानून में सुधार:** उच्चतम न्यायालय ने व्यापक जमानत कानून सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सतोंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में, न्यायालय ने जमानत आवेदनों के समय पर निपटान के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए और 'जेल नहीं जमानत' के सिद्धांत पर बल दिया।
 - हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की गहरी समझ की आवश्यकता है जो विचाराधीन कैदियों को जमानत प्राप्त करने से रोकती हैं।
- **न्यायिक और प्रशासनिक दक्षता:** न्यायिक सुधारों के माध्यम से लंबित मामलों को संबोधित करना आवश्यक है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और न्यायालय के बुनियादी ढांचे में सुधार से मुकदमों में तेजी लाने और पूर्व-परीक्षण हिरासत की अवधि को कम करने में सहायता मिल सकती है।
 - इसके अतिरिक्त, मनमानी गिरफ्तारी को रोकने के लिए दिशानिर्देशों को लागू करने से अनावश्यक हिरासत को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण खामियों को प्रकट करती है।
- हालाँकि, उच्चतम न्यायालय की हालिया पहल और निर्देश सार्थक परिवर्तन की संभावना जाग्रत करते हैं। इन उपायों को लागू करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्याय में देरी न हो और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को बरकरार रखा जाए।

Source: IE

पैकेज फूड की गुणवत्ता में असमानताएं

सन्दर्भ

- गैर-लाभकारी वैश्विक संस्था एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव (ATNi) की एक रिपोर्ट में उच्च आय वाले देशों (HICs) की तुलना में निम्न व मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में पैकेज खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में असमानता पाई गई।

रिपोर्ट के बारे में:

- रिपोर्ट में विश्व के 30 सबसे बड़े खाद्य एवं पेय (F&B) निर्माताओं का मूल्यांकन किया गया, जो वैश्विक F&B बाजार का 23% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- विश्लेषण किए गए ब्रांड:** इसमें नेस्ले, पेसिको, यूनिलीवर, कोका-कोला और हर्षे जैसे प्रमुख ब्रांडों के उत्पादों का विश्लेषण किया गया।
- विधि:** रिपोर्ट में खाद्य उत्पादों की स्वास्थ्यप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया गया।

स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली

- इस प्रणाली के तहत उत्पादों को उनके स्वास्थ्यप्रद होने के आधार पर 5 में से रैंक किया जाता है।
- 5 सबसे अच्छा है, और 3.5 से ऊपर का स्कोर एक स्वस्थ विकल्प माना जाता है।
- यह प्रणाली जोखिम बढ़ाने वाले माने जाने वाले खाद्य पदार्थों के घटकों का आकलन करती है और जोखिम को कम करने वाले माने जाने वाले घटकों के साथ इनका मिलान करके अंतिम स्कोर की गणना करती है जिसे स्टार रेटिंग में बदल दिया जाता है।

प्रमुख निष्कर्ष

- पोर्टफोलियो स्वास्थ्यप्रदता:** यह LMICs में सबसे कम पाया गया, जो विभिन्न बाजारों में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों में असमानताओं को उजागर करता है।
- वहनीयता:** केवल 30% कंपनियों ने कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अपने कुछ 'स्वास्थ्यप्रद' उत्पादों की कीमत वहनीय रूप से तय करने की रणनीति का प्रदर्शन किया है।

वैश्विक स्वास्थ्य और भारतीय संदर्भ:

- NCDs का उच्च भर:** भारत में, मधुमेह और मोटापे जैसी NCDs (गैर-संचारी रोग) अस्वास्थकर आहार के कारण बढ़ रही हैं, जिससे बीमारी का भार बढ़ रहा है। अनुमान है कि 10.13 करोड़ भारतीयों को मधुमेह है, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, महिलाओं में मोटापा 24% और पुरुषों में 23% है।
 - भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पाया गया कि भारत के 56.4% रोग अस्वास्थकर आहार से जुड़े हैं।
- वहनीयता और आहार परिवर्तन:** संयुक्त राष्ट्र के अंकड़ों के अनुसार 50% से अधिक भारतीय स्वस्थ आहार का व्यय नहीं वहन कर सकते हैं।
- कुपोषण:** भारत में कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी लगातार गंभीर समस्याएँ बनी हुई हैं।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय खाद्य और पेय पैकेजिंग उद्योग उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जिसके 2029 तक 86 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 14.8% है।
- इस क्षेत्र में पैकेजिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जैसे कंटेनर, कप, टेबलवेयर, स्टॉ, बैग, रैप और बॉक्स, जो सभी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

भारत में खाद्य लेबलिंग:

- भारत ने अभी तक पैक के सामने चीनी, वसा और सोडियम के अस्वास्थ्यकर स्तरों को इंगित करने के लिए खाद्य लेबलिंग पर महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की है।
- जबकि भारत ने खाद्य विपणन और लेबलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं (उदाहरण के लिए, बच्चों को अस्वास्थ्यकर भोजन बेचने के लिए WHO के दिशानिर्देश), खाद्य लेबलिंग पर विनियमन रुके हुए हैं।

अन्य संबंधित पहल

- FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण):**
 - यह खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्राधिकरण है।
 - यह खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के लिए मानक निर्धारित करता है।
 - यह खाद्य व्यवसाय लाइसेंसिंग और पंजीकरण की देखरेख भी करता है।
 - खाद्य व्यवसायों को अपने संचालन के पैमाने (जैसे, निर्माता, खुदरा विक्रेता, आयातक) के आधार पर FSSAI लाइसेंस पंजीकृत करना या प्राप्त करना होगा।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006:**
 - यह कानून खाद्य सुरक्षा के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री एवं आयात को नियंत्रित करता है।
 - यह खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
- गैर-अनुपालन के लिए दंड:** खाद्य सुरक्षा विनियमों का गैर-अनुपालन दंड, जुर्माना, निलंबन या लाइसेंस रद्द करने का कारण बन सकता है।
- उपभोक्ता संरक्षण:** विनियमों में उपभोक्ता सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि स्पष्ट खाद्य लेबलिंग की आवश्यकता और असुरक्षित खाद्य उत्पादों को वापस बुलाने की क्षमता।

कोडेक्स एलीमेट्रियस कमीशन (CAC)

- यह 1963 में स्थापित एक अंतर-सरकारी खाद्य मानक निकाय है।
- "कोडेक्स एलीमेट्रियस" शब्द लैटिन में "खाद्य संहिता" के लिए है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के अंदर संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- उद्देश्य:** उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना।
- सदस्य:** वर्तमान में, 189 सदस्य (188 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और यूरोपीय संघ)।
- आयोग की वर्ष में एक बार जिनेवा और रोम के बीच बारी-बारी से नियमित सत्र में बैठक होती है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ

- परीक्षण सुविधाओं का अभाव:** पर्याप्त रूप से सुसज्जित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी है, जिससे पूरे देश में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- उपभोक्ता जागरूकता का अभाव:** जनसँख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाद्य सुरक्षा मानकों, लेबलिंग आवश्यकताओं या सुरक्षित भोजन के अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता सतर्कता कम है।
- कमज़ोर निगरानी और निरीक्षण:** नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन के लिए अपर्याप्त संसाधनों के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा विनियमों का कम अनुपालन होता है।
- स्ट्रीट फूड और छोटे विक्रेता:** खाद्य पदार्थों का एक बड़ा भाग अपंजीकृत विक्रेताओं द्वारा बेचा जाता है जो खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं, प्रायः जागरूकता, संसाधनों या नियामक निरीक्षण की कमी के कारण।
- बिना लाइसेंस वाले खाद्य उत्पादक:** कई छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादक और विक्रेता आवश्यक लाइसेंस के बिना कार्य करते हैं, नियामक नियंत्रणों को दरकिनार करते हैं।
- लेबल पर झूठे दावे:** खाद्य लेबल पर स्वास्थ्य लाभ और जैविक प्रमाणपत्रों के बारे में भ्रामक दावे सामान्य हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सूचित निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।

सुझावात्मक उपाय

- पैकेज के सामने लेबलिंग:** यह उच्च चीनी, वसा और सोडियम सामग्री को इंगित करेगा, उदाहरण के लिए चिली और मैक्सिको में, इस तरह के अनिवार्य लेबलिंग के बाद शर्करा युक्त पेय पदार्थों की खपत कम हो गई।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियान:** खाद्य सुरक्षा मानकों, लेबलिंग और खाद्य जनित बीमारी की रोकथाम के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अभियान शुरू करें।
- मानकों की नियमित समीक्षा:** तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल रखने के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों को नियमित रूप से अपडेट एवं समीक्षा करें।
- वैश्विक सामंजस्य:** भारत के खाद्य सुरक्षा विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों (जैसे, कोडेक्स एलिमेंटरियस) के साथ सरेखित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय खाद्य उत्पाद उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

क्लाउड सीडिंग

समाचार में

दिल्ली सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड-सीडिंग या कृत्रिम वर्षा का प्रस्ताव दिया है।

क्लाउड-सीडिंग के बारे में

- यह एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसका उपयोग पहले से मौजूद बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सूखी बर्फ या तरल प्रोपेन जैसे रासायनिक "न्यूक्ली(nuclei)" डालकर कृत्रिम वर्षा को प्रेरित करने के लिए किया जाता है।
- ये रसायन हवा में नमी को संघनित करने में मदद करते हैं, जिससे वर्षा में तेजी आती है।
- क्लाउड-सीडिंग के प्रकार:
 - **हाइग्रोस्कोपिक:** तरल बादलों में बूंदों के निर्माण को तेज करने के लिए नमक के कणों का उपयोग करता है।
 - **ग्लेशियोजेनिक:** सुपरकूल्ड बादलों में बर्फ के निर्माण को प्रेरित करने के लिए सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ का उपयोग करता है।
- **कार्यान्वयन:**
 - **भारत:** सूखे से राहत के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रयास किया गया।
 - **वैश्विक:** ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, यूएई और रूस में उपयोग किया गया।
- **प्रभावशीलता:** प्रभावशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव पर परिचर्चा चल रही है, विशेषज्ञों ने अधिक शोध की आवश्यकता बताई है।
 - पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने बारिश को प्रेरित करने में 60-70% सफलता दर की सूचना दी है।
 - लेकिन सिल्वर आयोडाइड के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएँ हैं।
 - इसलिए क्लाउड सीडिंग ने अलग-अलग स्तर की सफलता देखी है और प्रभावी होने के लिए विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

Source:IE

भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक, नैफिथ्रोमाइसिन(Nafithromycin)

समाचार में

भारत ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) को लक्षित करने वाली देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक, नैफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है।

नैफिथ्रोमाइसिन के बारे में

- **विकास:** इसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) के सहयोग से विकसित किया गया है और वॉकहार्ट द्वारा मिक्नाफ नाम से बाजार में लाया गया है।

- नैफिथ्रोमाइसिन के विकास में 14 वर्षों का शोध और ₹500 करोड़ का निवेश लगा है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और भारत में नैदानिक परीक्षण किए गए हैं।
- इसे दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होने वाले सामुदायिक-अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया (CABP) के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा-कमज़ोर रोगियों जैसे कमज़ोर समूहों को प्रभावित करता है।
- **प्रभावशीलता:** यह एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की तुलना में दस गुना अधिक प्रभावी है, जिसमें तीन-दिवसीय उपचार आहार सुरक्षित, तेज़ और रोगियों द्वारा बेहतर सहन किया जाता है।
 - इसके न्यूनतम दुष्प्रभाव हैं और कोई महत्वपूर्ण दवा परस्पर क्रिया नहीं है, जो इसे एक बहुमुखी समाधान बनाता है।
- **महत्व:** नैफिथ्रोमाइसिन अपने वर्ग में 30 से अधिक वर्षों में वैश्विक स्तर पर विकसित होने वाला पहला नया एंटीबायोटिक है और वैश्विक AMR संकट से निपटने के लिए तैयार है।
 - भारत विश्व के निमोनिया के भार का 23% वहन करता है, और इस नवाचार का उद्देश्य बढ़ते स्वास्थ्य संकट के लिए एक बहुत आवश्यक समाधान प्रस्तुत करना है।
 - नैफिथ्रोमाइसिन का लॉन्च भारत के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों के लिए घरेलू समाधान विकसित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।
- **अनुमोदन की स्थिति:** इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

Source: PIB

खसरा(Measles)

सन्दर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में वैश्विक स्तर पर खसरे के 10.3 मिलियन मामले सामने आएंगे, जो 2022 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

खसरा के बारे में:

- **विशेषताएँ:** यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है, जिसकी विशेषता प्रायः एक विशिष्ट लाल, धब्बेदार दाने से होती है जो चेहरे पर शुरू होकर नीचे की ओर फैलता है, कभी-कभी बड़े पैच में विलीन हो जाता है।
- **संचरण:** यह श्वसन पथ को संक्रमित करता है और संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने पर आसानी से फैलता है।
- **लक्षण:** इसमें तेज बुखार, खांसी, नाक बहना और पूरे शरीर पर दाने शामिल हैं।
- **भेद्यता:** यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है लेकिन बच्चों में सबसे सामान्य है। इसके अतिरिक्त, कोई भी देश खसरे से अछूता नहीं है, और कम टीकाकरण वाले क्षेत्र वायरस को प्रसारित करने को प्रोत्साहित करते हैं।
- **रोकथाम:** इसे MMR वैक्सीन से रोका जा सकता है। यह वैक्सीन तीन बीमारियों - खसरा, कण्ठमाला और रूबेला से बचाता है।
- **भारत के प्रयास:** सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) भारत की सबसे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष लाखों नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके प्रदान करना है।

- वर्तमान में, यह कार्यक्रम 12 बीमारियों के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण प्रदान करता है, जिनमें से नौ राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई हैं, जैसे डिप्पीरिया, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी।

Source: AIR

तिल (sesame) में रोग उत्पन्न करने वाले नये सूक्ष्म जीव

सन्दर्भ

- शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तिल के खेतों में रोग उत्पन्न करने वाले एक नए सूक्ष्म जीव की पहचान की है।

तिल के बारे में:

- तिल, तेल की रानी, एक प्राचीन तिलहन फसल है क्योंकि तिल के अवशेष हड्पा और मोहनजोदड़ो में खोजे गए थे।
- तिल का तेल औषधीय दृष्टिकोण से उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और यह हृदय रोगियों के लिए एकदम सही है।
- हालांकि, इसके लाभों के बावजूद, तिल का उपयोग सामान्यतः भारत में प्राथमिक खाद्य तेल के रूप में नहीं किया जाता है और भारतीय तिल की किस्मों के लाभों का लाभ उठाने के लिए सुधार की आवश्यकता है।

नया अध्ययन क्या कहता है?

- हाल के वर्षों में, तिल के पौधों को उनके फूल/फलने की अवस्था से वनस्पति अवस्था में लौटते हुए देखा गया है, जिसमें सफेद फूल हरे हो जाते हैं।
- कारण:** यह रोग एक जीवाणु, कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, जो लीफहॉपर और प्लांट-हॉपर जैसे कीटों की आंत में पाया जाता है।
- संचरण तंत्र:** बैक्टीरिया फ्लोएम-फीडिंग कीटों (जैसे, लीफहॉपर, प्लांट-हॉपर) द्वारा संचारित होते हैं, जो तंबाकू, मक्का और अंगूर जैसी अन्य फसलों को भी संक्रमित करते हैं।
- रोग अभिव्यक्तियाँ:** संक्रमण से पुष्प भागों में विकृति और विरसेंस (हरापन) हो जाता है, जिससे वे पत्तेदार दिखाई देते हैं।
- फ्रोकस:** शोध तिल के चयापचय मार्गों और रोग के लक्षणों के विकास पर फाइटोप्लाज्मा के प्रभाव का पता लगाता है।
- शोध महत्व:** यह बहु-लक्ष्य दृष्टिकोण जटिल जैविक प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान है और फसलों में रोगों को समझने एवं प्रबंधित करने में सहायता कर सकता है।

Source: PIB

डी'कुन्हा समिति(D'Cunha Committee)

सन्दर्भ

- डी'कुन्हा समिति ने कर्नाटक में कोविड-19 प्रबंधन और खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच की।

डी'कुन्हा समिति के बारे में

- इसकी स्थापना कोविड-19 खरीद में कथित बहु-करोड़ की अनियमितताओं की जांच करने के लिए की गई थी।
- इसने पीएम केर्स और कर्नाटक मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (KSMSC) के तहत वेंटिलेटर खरीद में समस्याओं को उजागर किया।
- वेंटिलेटर खरीद में अधिक कीमत और दर भिन्नता (₹5-₹16.25 लाख) और आपूर्ति आदेशों में विसंगतियों का भी उल्लेख किया गया।

अनुशंसा

- समिति ने लोकायुक्त या अन्य एजेंसियों के माध्यम से विस्तृत जांच की सिफारिश की है।
- इसमें आपातकाल के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

Source: TH

डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती

सन्दर्भ

- डॉ. हरेकृष्ण महताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ।

परिचय

- **जन्म:** डॉ. हरेकृष्ण महताब, जिन्हें "उत्कल केशरी" के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के अगरपारा में हुआ था।
- वे भारतीय इतिहास में एक बहुमुखी नेता थे, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, लेखक, समाज सुधारक और पत्रकार के रूप में जाना जाता है।
- वे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी जैसी हस्तियों से बहुत प्रभावित थे।

राजनीतिक जीवन

- उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- अपनी सक्रियता के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और ओडिशा को भारत संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- डॉ. हरेकृष्ण महताब रियासत के अंतिम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्र भारत में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 1962 में निर्विरोध लोकसभा के लिए चुने गए।

साहित्यिक रचना

- डॉ. हरेकृष्ण महताब ने ओडिशा और अंग्रेजी दोनों में व्यापक रूप से लिखा।
 - **उड़ीसा का इतिहास:** ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विवरण।
 - **गांव मजलिस:** इस साहित्यिक कृति के लिए उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।

Source: PIB

अंतरिक्ष क्षेत्र के ग्राउंड सेगमेंट में निजी खिलाड़ी

सन्दर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ग्राउंड ऑपरेशन में निजी खिलाड़ियों के प्रवेश के तरीकों पर विचार कर रहा है।

सेगमेंट के बारे में

- ग्राउंड स्टेशन ज़मीन पर स्थित एंटेना होते हैं जो उपग्रहों के साथ संचार करने में सहायता करते हैं।
- ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट नियंत्रण, टेलीमेट्री और ट्रैकिंग, अंतरिक्ष डेटा रिसेप्शन एवं अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता जैसी सेवाएँ प्रति उपयोग भुगतान के आधार पर प्रदान करते हैं।
- ग्राउंड स्टेशन एज़ ए सर्विस (GSaaS) सेक्टर में 2033 तक 30% की वृद्धि की परिकल्पना की गई है।
- यह 2033 तक वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 8% करने के सरकार के वृष्टिकोण के अनुरूप है।

इन-स्पेस (IN-SPACe)

- इसकी स्थापना 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी, और यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यह एक एकल-खिड़की, स्वतंत्र, नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग (DOS) में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- IN-SPACe भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- तीन निदेशालय अर्थात्, संवर्धन निदेशालय (PD), तकनीकी निदेशालय (TD) और कार्यक्रम प्रबंधन एवं प्राधिकरण निदेशालय (PMAD) IN-SPACe के कार्यों को संचालित कर रहे हैं।

Source: IE

सेंट फ्रांसिस जेवियर (Saint Francis Xavier)

सन्दर्भ

- संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों की 45 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए विश्व भर से तीर्थयात्री और पर्यटक गोवा आएंगे।

परिचय

- सेंट फ्रांसिस जेवियर (1506-1552) एक प्रमुख कैथोलिक मिशनरी और सोसाइटी ऑफ जीसस (जेसुइट्स) के सह-संस्थापक थे।
- उन्हें "गोएंचो सैब" (गोवा के भगवान) के रूप में भी जाना जाता है, वे 1542 में गोवा - तब एक पुर्तगाली उपनिवेश - पहुंचे थे।
 - राजा जाऊन तृतीय के आदेशानुसार उनका प्राथमिक मिशन पुर्तगाली बसने वालों के बीच ईसाई धर्म को पुनर्स्थापित करना था।
- चीन के तट से दूर शांगचुआन द्वीप पर 1552 में उनकी मृत्यु हो गई।
- प्रदर्शनी एक आध्यात्मिक आयोजन है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी बन गया है।
 - 1961 में गोवा के पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद यह प्रदर्शनी एक अधिक नियमित आयोजन बन गया और 1964 से हर दशक में एक बार आयोजित किया जाता है।

Source: IE

अनुकूलित फ्लोरोजेनिक परीक्षणों (Tailored Fluorogenic Tests) द्वारा HIV जीनोम का पता लगाना

सन्दर्भ

- जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) के शोधकर्ताओं ने HIV जीनोम व्युत्पन्न जी-काइप्लेक्स (GQ) का पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की है।

वर्तमान पद्धतियों की समस्या:


- न्यूक्लिक एसिड-आधारित विधियों सहित पारंपरिक HIV निदान परीक्षण, गलत सकारात्मकता से ग्रस्त हो सकते हैं और गैर-विशिष्ट DNA जांच और क्रॉस-रिएक्टिविटी के कारण प्रारंभिक संक्रमण का पता नहीं चल पाता है।

नई डायग्नोस्टिक तकनीक के बारे में

- इसका नाम GQ टोपोलॉजी-टार्गेटेड रिलायबल कंफॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म (GQ-RCP) है।
- इसे शुरू में SARS-CoV-2 जैसे रोगजनकों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे अब HIV के लिए अनुकूलित किया गया है।
- यह एक फ्लोरोमेट्रिक परीक्षण का उपयोग करता है, जो HIV के निदान में बढ़ी हुई विश्वसनीयता प्रदान करता है और झूठी सकारात्मकता को कम करता है।

लाभ:

- न्यूक्लिक एसिड-छोटे अणु इंटरैक्शन पर आधारित नया डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म।
- झूठी सकारात्मकता को कम करता है, अनुक्रम-विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।
- वर्तमान न्यूक्लिक एसिड-आधारित डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जा सकता है।
- बैक्टीरिया और वायरस सहित विभिन्न DNA/RNA आधारित रोगजनकों का पता लगाने के लिए लागू।



Source: PIB